

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून, दिनांक २९ मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की मांगें स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी “विनियोग अधिनियम, 2019” पारित होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासन के व्यय में मित–व्ययता नितान्त आवश्यक है। मित–व्ययता सुनिश्चित करना केवल वित्त विभाग का ही दायित्व नहीं है वरन् समस्त प्र०वि० का भी दायित्व है। धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा, को तभी निर्गत किया जायेगा जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तदक्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाये। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम् वित्त अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी को

किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3. सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा सर्वप्रथम आय-व्ययक में प्रावधानित राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिपूर्ति ऑनलाइन माध्यम से उसी लेखाशीर्षक/मद से सुनिश्चित की जायेगी, जिससे राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की गयी है। आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से पूर्व उस लेखाशीर्षक से अन्य कोई धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी। राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष का होगा। प्रायः यह संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा सामान्य प्रकृति के प्रकरणों हेतु भी राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जबकि “राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली” के प्रावधानानुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन केवल अप्रत्याशित व्यय (Unforeseen Expenditure) हेतु ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः विभाग अतिमहत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य विषयों पर ही राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करें। सामान्य प्रकृति के प्रकरणों पर नियमित बजट की सीमा के अन्दर ही धनराशि स्वीकृत की जाए।
4. चालू निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्र०वि० द्वारा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का परीक्षण करते हुए अपने रतर से जारी की जायेगी, धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम०ओ०य० में वर्णित समय सारणी के आधार पर किया जाये। यदि चालू कार्यों में धनराशि 25 करोड़ से अधिक है तो इस धनराशि को तीन समान किस्तों में अवमुक्त किया जायेगा। द्वितीय किस्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रथम किस्त का 90 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा एवं इसी प्रकार तृतीय किस्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रथम एवं द्वितीय किस्त की संकलित धनराशि का 90 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त ही प्र०वि० द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व प्र०वि० के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा।

5. समस्त नये कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में बहुधा यह देखा गया है कि नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के समय लागत एवं समय वृद्धि (Cost and Time Over run) से बचने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(VI) (2) एवं (3) की अनुपालना नहीं की जाती है जिसके कारण बजट व्यवस्था के सापेक्ष बड़ी मात्रा में कार्य निर्माणाधीन रहते हैं, क्योंकि प्रारम्भ में कार्य विशेष हेतु न्यून अथवा प्रतीक (Token) धनराशि आधार पर कार्य की स्वीकृति दे दी जाती है और तदोपरान्त अगली किश्तों में भी अति न्यून धनराशि अवगुक्त की जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य लम्बे समय तक निर्माणाधीन रहते हैं और उपयोग में नहीं लाये जा पाते तथा उनमें लागत वृद्धि की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः पूर्व स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य का नियमित एवं सधन अनुश्रवण व समीक्षा की जाय और जो कार्य किन्हीं कारणोंवश प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यों के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर नये सिरे से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र-1, 2 एवं 3 पर भवनों के निर्माण से सम्बन्धित संकलित सूचना भी वित्त अनुभाग-1 एवं सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को उपलब्ध करा दी जाए एवं साथ ही नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी इन सूचनाओं को बी0एम0-80 अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति व उच्च अनुमोदन के साथ प्रस्तुत किया जाय। बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(6) प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिये विभागों को अनुमानित लागत का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रथम किश्त में, 40 प्रतिशत द्वितीय किश्त में एवं शेष तृतीय किश्त में प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, लेकिन विभागों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्र०वि० बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(6) प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के प्रस्ताव तीन चरणों में 40-40-20 प्रतिशत के आधार पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6. निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लिया जायेगा

३

कि प्रत्येक निर्गणाधीन कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश संख्या—475/
XXVII(1)/2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से
एमोओ०य० किया गया है। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय
सारिणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एमोओ०य० किया जाय।

7. चालू कार्यों में सर्वप्रथम धनराशि उन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जायेगी जहाँ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति अच्छी हो। उदाहरणार्थ—यदि किसी परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 80 से 90 प्रतिशत के बीच में है तो प्र०वि० सर्वप्रथम उस परियोजना को पूर्ण करने हेतु धन अवमुक्त करेंगे न कि अन्य किसी ऐसी परियोजनाओं में, जिनकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की स्थिति संतोषजनक न हो।

8. मानक मद-25 लघु निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत की धनराशि दिव्यांगजनों के कल्याण व सुगम्यता सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित कार्यों में व्यय किये जायेंगे।

9. वचनबद्ध मदों, यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेशन, भोजन व्यय, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान, आदि मदों की धनराशि आवश्यकता के आधार पर प्र०वि० अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों की धनराशि भी आवश्यकतानुसार प्र०वि० अपने स्तर से अवमुक्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। मानक मद-01—वेतन, 03—मंहगाई भत्ता, तथा 06—अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है। मानक मद-01—वेतन, 03—मंहगाई भत्ता, 06—अन्य भत्ते, 09—विद्युत देय तथा 10—जलकर/जलप्रभार में Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मदों

का आवंटन HOD के द्वारा किया जायेगा एवं आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जायेगा। एसिधर के भुगतान हेतु आहरण वितरण अधिकारी की मांग पर पोर्टल के मैनुअल पे—ऑपशन से भुगतान हेतु बजट आवंटित किया जायेगा।

10. निम्नलिखित मदों में प्रावधानित धनराशि को सम्बन्धित प्र०वि० द्वारा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार निर्गत किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है:—

1. अनुदान स० 12 के लेखाशीर्षक 2210-06-101-99-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।
 2. अनुदान स० 13 के लेखाशीर्षक 2215-01-101-05-04-09-विद्युत देय।
 3. अनुदान स० 13 के लेखाशीर्षक 2215-01-101-05-12-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।
 4. अनुदान स० 20 के लेखाशीर्षक 2702-03-102-03-09-विद्युत देय।
 5. अनुदान स० 26 के लेखाशीर्षक 5452-80-104-04-52-24-वृहत निर्माण कार्य।
 6. अनुदान स० 27 के लेखाशीर्षक 2406-01-101-05-वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य रोकटर)।
 7. अनुदान स० 27 के लेखाशीर्षक 2406-01-101-13-सिविल/सोयम एवं पवायती वनों की अग्नि से सुरक्षा।
 8. अनुदान स०-07 के लेखाशीर्षक 4059-80-800-14-00-जिलाधिकारियों के निवर्तन पर अनटाइड फण्ड।
 9. अनुदान स०-06 के लेखाशीर्षक 2245-80-102-11-आपदा न्यूनीकरण निधि-42-अन्य व्यय।
 10. अनुदान स०-13 के लेखाशीर्षक 2217-80-800-10-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।
 11. अनुदान स०-13 के लेखाशीर्षक 2215-01-101-06-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।
11. मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता, मानक मद-30-निवेश/ऋण, मानक मद-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा मानक मद-42-अन्य व्यय (जिला योजना एवं केन्द्रीय पोषित योजनाओं तथा प्रस्तर-10 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों को छोड़कर) के लिये आय-व्ययक के संबंधित मानक मद के अन्तर्गत प्रावधान रु 5.00 करोड़ तक है तो धनराशि प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि

आहरित एवं व्यय की जायेगी। रु 5.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव सम्बन्धित व्यय—नियंत्रण अनुभाग की सहमति से दो चरणों में निर्गत की जायेगी। इसमें प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धनराशि एकमुश्त (lumpsum) न निर्गत करते हुए सम्बन्धित कार्यों/परियोजनाओं हेतु ही निर्गत की जायेगी।

12. रु 5.00 करोड़ से अधिक के कार्यों/परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से आडिट कराया जायेगा। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अपने स्तर से ही आडिट रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। ऐसे मामलों में यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना/निर्माण कार्यों की अनुमोदित कुल लागत की सीमा के अधीन ही धनराशि निर्गत की जाए तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति अनुसार कियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित की जाए।

13. केन्द्रपोषित योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर तथा वित्त अनु०-०१/बजट निदेशालय से पुष्टि कराये जाने के पश्चात् आंबेटित बजट की सीमा तक प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं। केन्द्रांश की धनराशि के ८० प्रतिशत उपयोग के पश्चात् राज्यांश की धनराशि प्र०वि० अपने स्तर से निर्गत कर सकते हैं। प्र०वि० के प्रमुख सचिव/सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यांश के शेयरिंग पैटर्न का अनुपालन किया गया है। केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी तथा केन्द्रपोषित योजनाओं से किसी अन्य योजना में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

14. वाहय सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत प्र०वि० यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि का ७० प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimbursement) भारत सरकार से प्राप्त किया जा चुका है एवं तदोपरान्त बजट की सीमा के अन्तर्गत चालू योजनाओं की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं अवमुक्त किये जायेंगे। नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी। रु 50.00 करोड़ से अधिक EAP को दो समान किस्तों में अवमुक्त किया जायेगा।

15. एस०पी०ए०, एस०सी०ए० एवं भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं में कुल स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि (भारत सरकार व राज्य सरकार) निर्गत नहीं की

जायेगी, यदि पूर्व में राज्य द्वारा कुछ धनराशि भारत सरकार से प्राप्ति की प्रत्याशा में निर्गत की गई है और भारत सरकार से धनराशि बाद में प्राप्त हो गई है तो राज्य द्वारा प्रत्याशा में दी गई धनराशि समायोजित कर ली जायेगी और यदि भारत सरकार से धनराशि विलम्ब से प्राप्त हुई है व बजट में प्रावधान न हो पाया हो तो उसके प्रावधान हेतु अगले अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए या अनुदान में उपलब्ध किसी केन्द्र पोषित योजना से पुनर्विनियोग का विचार किया जाए।

16. **एस०पी०ए०(आर०)** की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। एस०पी०ए०(आर०) के अन्तर्गत बजट प्रावधान आपदा विभाग के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि यह एक समयबद्ध संसाधन (Time bound resource) है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार की साईट पर अपलोडेड तथा स्वीकृत परियोजनायें एवं जिस पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, ऐसे समस्त परियोजनाओं को भारत सरकार के द्वारा जारी धनराशि की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति का अधिकार आपदा प्रबन्धन विभाग को दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि विभागों द्वारा एव०पी०सी० से अपलोडेड योजनाओं के अतिरिक्त एच०पी० सी० से अन्य योजनाओं को अनुमोदित करायी गयी है तो समस्त प्रशासकीय विभाग से अपेक्षा है कि वह शीघ्र एव०पी०सी० द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं (Projects) को नियमानुसार सभी औपचारिकतायें (टी०ए०सी० आदि) पूरी करते हुए नियोजन विभाग को भेजेंगे एवं नियोजन विभाग के माध्यम से आपदा प्रबन्धन विभाग से शीघ्र सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. नाबार्ड का वर्ष 2019–20 हेतु Disbursement Target एवं New Project Sanction के लक्ष्य एच०पी०सी० द्वारा निर्धारित किये जा चुके हैं। प्रशासकीय विभाग से अपेक्षा है कि वह अपने विभाग के नये Projects शीघ्र एव०पी०सी० में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको अनुमोदनोपरान्त समस्य नाबार्ड से स्वीकृत किया जा सके। चालू परियोजनाओं में बजट सीमा तक की धनराशि प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से निर्गत कर सकेंगे। प्र०वि० बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6) प्रावधानानुसार नाबार्ड से स्वीकृत नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के प्रस्ताव तीन चरणों में 40–40–20 प्रतिशत के आधार पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्र०वि० नाबार्ड मद में प्रावधानित धनराशि

उसी सीमा तक निर्गत करेंगे जितना की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में व्यय की जा सके एवं किसी भी दशा में पाकिंग ऑफ फण्ड नहीं किया जायेगा।

18. केन्द्रपोषित योजनाओं/वाह्य सहायतित योजनाओं/एस०पी०ए० तथा एस०पी०ए० आर० योजनाओं में निर्धारित बजट आबंटन से अधिक की धनराशि कदापि व्यय न की जाए। उक्त योजनाओं में निर्धारित बजट से अधिक आवंटन होने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा। केन्द्रपोषित/केन्द्रपुरोनिधानित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये **स्पेशल कम्पोनेट प्लान** तथा अनुसूचित जनजाति के लिये **ट्राइबल सब प्लान** के अन्तर्गत बजट प्राविधान/आबंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया जाए।

19. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महोलखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी०ए०-१० प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजीका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण-वितरण अधिकारियों को आबंटित बजट का विवरण सख्त जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

20. जैसा कि बजट मैनुअल के प्रस्तर-75 में इंगित किया गया है बजट नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो एवं सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर

वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। कोर ड्रेजरी सिस्टम माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी०एम०-८ पर प्राप्त करते हुये व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनायें समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-१ तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाए। राजस्व मद से पूँजीगत मद में इसी प्रकार पूँजीगत मद से राजस्व मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। उक्त सम्बन्ध में समस्त विभाग महालेखाकार द्वारा ऑडिट पैरा में इंगित आपत्तियों का तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

21. प्र०वि० विभागों द्वारा यदि किसी योजनाओं में धनराशि पी०एल०ए० खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायें। तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत आय व्ययक में रवीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें। सी०एस०एस०, ई०ए०पी०, नाबांड एवं जिलायोजना को छोड़कर पी०एल०ए० खाते में जमा धनराशि वित्त विभाग की सहमति से ही आहरित की जायेगी।

22. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।


23. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-१ (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५ भाग-१ (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- २५४ / ३(१५०)-२०१७/XXVII(1)/२०१८ एवं तददिनांकित २९।३।१९

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मण्डलायुक्ता गढ़वाल/कुमांऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार कम्प्यूटर रॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
5. एन००आई०री० सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. शासन के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।


(अमित सिंह नेगी)
सचिव